

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019

जयपुर, दिनांक : 22.07.2020

आदेश


विषय :- अनलॉक-2.0 क्रियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 में संशोधन।

क्रियान्वयन समसंख्यक आदेश दिनांक 30.06.2020 के भाग एफ "व्यक्तियों के आवागमन/परिवहन/पास" में तत्काल प्रभाव से निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

सिटी बसों (लोक परिवहन) का अग्रिम आदेश तक निम्न शर्तों के अधीन संचालन अनुमत होगा :

बसों के मालिक/संचालक/प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि:

1. प्रत्येक यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं का उपयुक्त सेनिटाईजेशन किया गया है।
2. बसों में बैठने वाले यात्री, ड्राइवर एवं कंडक्टर द्वारा फेस मास्क पहना गया है।
3. पर्याप्त सामाजिक दूरी (Adequate Social Distancing) की अनुपालना की जा रही है।


(रोहित कुमार सिंह)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री महोदय
5. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड
9. सभी विभागाध्यक्ष
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, समस्त जिला स्तरीय, जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को इस आदेश की प्रति उपलब्ध करायें।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. उप सचिव, मुख्य सचिव।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।



(वी. सरवन कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह